

Tele: 26189210  
Fax: 2618 3227  
Web: www.ncbc.nic.in



त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली-११००६६  
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,  
New Delhi - 110066

भारत सरकार  
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग  
GOVERNMENT OF INDIA  
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

F. No. NCBC/08/06/753/2021-RW/KSP

Date- 10/08/2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जिलाधिकारी कार्यालय,  
मीरजापुर, उत्तर प्रदेश-211002

विषय: जनपद मीरजापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित शिकायतों के बारे में दिनांक 17.08.2021 को आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई सुनवाई के संबंध में।

संदर्भ: NCBC/08/06/753/2021-RW (In the matter of Shri Shankarlal Jaiswal)  
NCBC/08/12/153/2019-RW (In the matter of Shri Ramkishan Singh)  
NCBC/08/11/510/2020-RW (In the matter of Shri Ashutosh Soni)  
NCBC/08/10/447/2020-RW (In the matter of Shri Bachcha Lal)  
NCBC/08/09/48/2019-RW (In the matter of Mrs. Sadhna Singh)  
NCBC/08/01/240/2020-RW (In the matter of Dr. Dhramraj Singh)


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (ख) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के 102वें संविधान संशोधन दिनांक 11.08.2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (ख) के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आयोग का यह कर्तव्य है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे एवं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिद्रिष्ट शिकायतों की जांच करे।

2. उपरोक्त विषय के संदर्भ में आयोग द्वारा दिनांक 17.08.2021 को 2:00 बजे माननीय सदस्य (श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल) कक्ष, प्रथम तल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1,

भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में सुनवाई सुनिश्चित की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय से संबंधित सभी मूल फाइल/दस्तावेज एवं 5 (Blank) रिक्त शपथ-पत्र लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करे। जिलाधिकारी मीरजापुर से अपेक्षा है कि समस्त शिकायतकर्ताओं को माननीय आयोग में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

3. उक्त निर्देश के अनुपालन की अनुपस्थिति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।

भवदीय,

  
रामायण यादव  
सलाहकार

प्रतिलिपि:

- 1) श्री बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय बुद्ध लाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम- मदनपुर, पोस्ट- जिगना, जिला- मीरजापुर, उत्तर प्रदेश- 231313।
- 2) श्री आशुतोष सोनी पुत्र श्री शंकर सोनी, गाँव+पोस्ट- हलिया, तहसील- लालगंज, जिला- मीरजापुर, 231211 उत्तरप्रदेश।
- 3) श्री शंकर लाल जायसवाल पुत्र स्व. संतुराम जायसवाल, निवासी, न्यू वी. आई.पी, रोड, विन्ध्याचल, जनपद- मीरजापुर उत्तर प्रदेश।
- 4) श्री रामकिशन सिंह पुत्र स्वर्गीय जुगुन सिंह निवासी ग्राम- जमुई, पोस्ट-जम्हार, तहसील- चुनार, जिला- मीरजापुर, उत्तर प्रदेश।
- 5) श्रीमती साधना पत्नी श्री अमरेशचंद्र सिंह, ग्राम- पौनी, पोस्ट- भुदकुड़ा, तहसील- चुनार, जिला- मीरजापुर, उ.प्र.-231304
- 6) डॉ. धर्मराज सिंह, ग्राम- प्रतापपुर, पोस्ट- पुरुषोत्तमपुर, जिला- मीरजापुर, उत्तर प्रदेश- 231305